FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

.... आनंद सिंह .... बनाम .... श्रवणी देवी वगै ....

किस्म मुकदमा .... 251 A (R.T.A.) .... नं. ......19...... सन् 2021..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
21/9/2021	पत्रावली पेश हुई। वकूलान फरीकैन उप./[illegible] पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते कार्यवाही हेतु दिनांक 23-9-21 को पेश हो। [signature] रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
23.09.2021	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई जा चुकी हैं एंव प्रकरण में डाक विभाग से भी ट्रेकिंग रिपोर्ट भी प्राप्त की जा चुकी है। बावजूद रजिस्टर्ड डाक के भी उक्त अप्रार्थीगण में से कोई हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आये है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–195[illegible] स्वीक[illegible] किया जाकर अंतिम रूप से नि[illegible] नियमानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश [illegible] हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल [illegible]र हो। [signature] 23/09/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 19/2021
जी0सी0एम0एस नम्बर :– 2021/106
दायर दिनांक :– 08.04.2021
निर्णय दिनांक :– 23.09.2021

उनवान

झाबरसिंह पुत्र सुवालाल आयु 55 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी मंगरावाली तन् ग्राम पटवारीकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–प्रार्थी–

बनाम

1. श्रवणी देवी पत्नि स्व. भगवानसहाय आयु 62 वर्ष
2. सीताराम पुत्र स्व. भगवानसहाय आयु 38 वर्ष
3. ममता पुत्री स्व. भगवानसहाय आयु 25 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी मंगरावाली तन् ग्राम पटवारीकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

4. पटवारी हल्का भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

––अप्रार्थीगण ––

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::–

उपस्थितिः–

1. **कमल कुमार शर्मा, अभिभाषक –प्रार्थी**
2. **पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी संख्या 4**

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 108, 110/1, 97 कुल किता 3 कुल रकबा 5.[illegible] तन् ग्राम भारणी पटवार हल्का भारणी भू–अभिलेख निरिक्षक भारणी [illegible] सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। जिसका प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है। [illegible] में आने जाने हेतु रास्ते की प्रार्थी को सख्त आवश्यकता हैं। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 97 में आने जाने हेतु मुख्य सड़क श्रीमाधोपुर से रींगस से होता हुआ खसरा नम्बर 98 जो अप्रार्थी नम्बर 1 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested

23/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

3 के पति व पिता स्व. भगवानसहाय की खातेदारी में दर्ज है में से आवागमन हेतु 30 फीट चौड़ाई के रास्ते की सख्त आवश्यकता है ताकि उक्त रास्ते से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी शुदा भूमि में कृषि कार्य कर सके व अपने मवेशियान आदि को ले जा सके एंव कृषि कार्य हेतु टैक्टर, ऊंट लड्डे आदि का आवागमन करते हुये अपनी कृषि भूमि का रास्तो के रूप में आवागमन आमद रफ्त करते हुये अपनी कृषि भूमि की सार सम्भाल करते हुये अपनी कृषि उपज को बाजार आदि में ले जाकर कृषि भूमि का समुचित विकास कर सके। मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज नही है। उक्त रास्तो के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु नही हैं ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता है तथा उक्त रास्ता ही लघुत्तम रास्ता है। इस कारण उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में व नक्शे में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उक्त रास्तो के अभाव में प्रार्थी को सख्त हकतल्फी हैं। रास्ते के अभाव में प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि भूमि में आना-जाना दूभर हो गया है। इस कारण रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक होने से न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं. 1 स 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक व अप्रार्थी सं. 4 व 5 की तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के तहत पेश किया गया है। प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया एंव आदेशित किया गया कि वाके ग्राम भारणी के भूमि खसरा नम्बर 108, 110/1, 97 कुल किता 3 कुल रकबा 5.97 हैक्टर जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसमें से खसरा नम्बर 97 तक आवागमन हेतु मुख्य सड़क श्रीमाधोपुर से रींगस से होता हुआ खसरा नम्बर 98 जो अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 के पति व पिता स्व0 भगवानसहाय की खातेदारी में दर्ज है में से 30 फुट चौड़ाई के रास्ते को राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ते [illegible] मौके पर रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर मौका कमिश्नर से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त की [illegible] क्या प्रार्थी को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करें (मय नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:53 IST
Reason: Self Attested

Rathore
23/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

ट्रेस एंव नकल जमाबन्दी) 2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपल्बध नहीं है तो क्या प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एंव इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करावें। 3. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो मौका कमिश्नर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई व चौड़ाई) एंव क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगने की गणना क्षेत्रफल से कर प्रतिकर राशि प्रस्तावित करें (मय पर्चा मौका)। इस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1609/राजस्व/2021 दिनांक 02.07.2021 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किया गया। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम भारणी के भूमि खसरा नम्बर 108, 110/1 एंव 97 कुल किता 3 कुल रकबा 5.97 हैक्टर में आवागमन हेतु वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है। उक्त भूमि में आवागमन हेतु लघुत्तम रास्ता भूमि खसरा नम्बर 98 की उत्तरी सीमा के सटाकर कटाण में किया जा सकता है। खसरा नम्बर 98 की उत्तरी सीमा की लम्बाई 32 मीटर तथा न्यूनतम रास्ते की चौड़ाई 30 फीट (9.1463 मी.) इस प्रकार कुल रकबा 0.0293 हैक्टर यानि 293 वर्गमीटर है। जो वर्तमान में खसरा नम्बर 98 रकबा 0.25 हैक्टर किस्म बारानी–प्रथम की खातेदारी भगवान सहाय पुत्र कजोड़मल जाति जाट निवासी ढ़ाणी मंगरावाली तन् पटवारी का बास के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के अपनी निजी खातेदारी पर जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम/निकटतम है एंव इसमें किसी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं हो रहा है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का क्षेत्रफल लगभग 293 वर्गमीटर (लम्बाई 32 मीटर व चौड़ाई 30 फीट) तथा ग्राम भारणी की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 13,48,713/– रूपए प्रति हैक्टर है। जिससे 0.0293 हैक्टर यानि 293 वर्गमीटर X 1348713 = 39518/– रूपये राशि बनती है, जिसकी दुगुना राशि 79036/– रूपये (उनयासी हजार छत्तीस रूपये मात्र) बनती है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की कुल जमा योग्य राशि 79036/–रूपये मात्र है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजियात पर पहुँचने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार 0.0293 हैक्टर अर्थात 293 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रतिकर राशि 79036/– रूपये नियमानुसार जमा करानी होगी।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 को स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 23/08/21

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जाता है कि वाके ग्राम भारणी पटवार हल्का भारणी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 98 की उत्तरी सीमा के सटाकर 32 मीटर लम्बाई में 30 फीट चौड़ाई का रास्ता जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौका रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग मानते हुए रास्ता नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार 0.0293 हैक्टर भूमि को बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें जिसमें रास्ते की चौड़ाई 30 फीट से अधिक न हो एंव इस हेतु प्रार्थी से प्रतिकर राशि 79036/— रूपए वसूल की जाकर नियमानुसार राज्यकोष में जमा किये जावें एंव तत्पश्चात् राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम करवाई जावे। उक्त प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावें। प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग मानते हुए रास्ता अंकित नजरी नक्शा प्रमाणित अंकन किया जाकर निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से रास्ते हेतु प्रतिकर राशि 79036/— रूपये वसूल की जाकर नियमानुसार राजकोष में जमा किये जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को उनके हक हिस्से अनुसार भुगतान करते हुए वाके ग्राम भारणी पटवार मण्डल भारणी तहसील श्रीमाधोपुर में भूमि खसरा नम्बर 98 रकबा 0.2500 हैक्टर किस्म बारानी 1 में से मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार 0.0293 हैक्टर भूमि बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड किया जावे। रास्ते की अधिकतम चौड़ाई 30 फीट से अधिक नहीं हो एंव नक्शे में आवश्यक तरमीम की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 23/09/21
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.05 18:23:53 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 23/09/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)